(168)

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना–15

Doc. No:- BRPNNL/ HQA/ 170	Dt .13/07/2026	Page No..../......

।। आवश्यक सूचना ।।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन निर्मित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू–अधिग्रहण में हो रही कठिनाई को देखते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी जिन्हें भू–अधिग्रहण से संबंधित कार्य का पर्याप्त अनुभव हो को संविदा के आधार पर अनुश्रवण पदाधिकारी (भू–अर्जन) के 02 पद, (जिसमें एक अनारक्षित एवं एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) पर **दिनांक–12.08.2026 (अपराह्न 06:00 बजे)** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। नियोजन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्त्त तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र निगम के बेवसाईट brpnnl.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

13.7.26

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना

13.07.2026

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना–15

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन निर्मित होने वाले विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू–अधिग्रहण में हो रही कठिनाई को देखते हुए भू–अर्जन की कार्रवाई के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी जिन्हें भू–अधिग्रहण से संबंधित कार्य का पर्याप्त अनुभव हो को संविदा के आधार पर अनुश्रवण पदाधिकारी (भू–अर्जन) के 02 पद, (जिसमें एक अनारक्षित एवं एक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) पर **दिनांक–12.08.2026 (अपराह्न 06:00 बजे)** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

➢ **नियोजन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्त्त :–**

1. **मानदेयः–**

   संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त्तो के साथ–साथ यथा निर्धारित किया जायेगा।
2. **योग्यताः–** बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी, जिन्हें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य का अनुभव हो।
3. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि को अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र 63 वर्ष होना चाहिए।
4. संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 02 वर्षो तक होगा तथा अधिकतम उम्र–65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षानुसार किया जायेगा।
5. चयन प्रक्रिया में चयन हेतु अंको का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–3815 दिनांक 11.03.2016 में संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार होगा।
6. नियुक्ति के उपरांत दो माह का परिक्ष्माण अवधि होगी। समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त इनके कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी।
7. नियोजन हेतु चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
8. अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा किः–

   (क) उनके विरूद्ध निगरानी में मामला नहीं चल रहा है।

   (ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

   (ग) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है।

   (घ) उनके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
9. बिहार सरकार के बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी ही आवेदन देने हेतु योग्य होंगें।
10. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
11. राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
12. आवेदन के साथ आरक्षण कोटि के साक्ष्य में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं साक्ष्य के साथ सेवा इतिहास का स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा, जिसकी मूल प्रति नियोजन के समय इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
13. **अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि** नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा। इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं है।
14. चयन समिति के अनुशंसा Walk-in-Interview के आधार पर किया जायेगा। चयनित पदाधिकारियों का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा नियोजित करने के उपरांत बिहार राज्य में किसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।

15. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत पदाधिकारियों को केवल आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा।

16. आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर सभी वांछित कागजातों के साथ हाथो–हाथ निम्न पता पर जमा करना होगा :–

कार्यालय के पता – **प्रबंध निदेशक,**

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना

07 सरदार पटेल मार्ग, पिन नं0–800015

17. विज्ञापन से संबंधित किसी जानकारी हेतु सचिव (योजना एवं प्रशासन), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

18. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए बिना विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

13.7.26

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना

9100
13.07.2026

165

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, 07 सरदार पटेल मार्ग, पटना–15 के अधीन संविदा के आधार पर अनुश्रवण पदाधिकारी (भू–अर्जन) के पद पर नियोजन हेतु

आवेदन ''प्रपत्र''

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (स्व0 अभिप्रमाणित)

1. आवेदक का नाम :–
2. पिता का नाम :–
3. जन्म तिथि :–
4. सेवानिवृत पद का नाम :–
5. सेवानिवृत की तिथि :–
6. आरक्षण कोटि का प्रकार :–
7. विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता, जहाँ से सेवानिवृत हुए है। :–
8. स्व–अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ सेवा इतिहास (सेवा इतिहास अलग पृष्ठ में संलग्न करे) :–
9. सेवानिवृति के उपरान्त संविदा पर नियोजन का कार्यनुभव का विवरणी :–
10. स्थायी पता :–
11. पत्राचार का पता :–
12. मोबाईल संख्या :–

____

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :–

दिनांकः–